(101)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 426—तीन/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—07—2014 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 5/अ—6/2009—10.

.....

1— हनुमान प्रसाद मिश्र
2— अनुसुईया प्रसाद मिश्र
3— आदित्य प्रसाद मिश्र
समस्त पुत्रगण स्व0 श्री नंदलाल मिश्र
निवासी ग्राम बरौ तहसील सेमरिया
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1— सुग्रीव प्रसाद तिवारी
2— अंनत प्रसाद तिवारी
3— छोटे प्रसाद तिवारी
समस्त पुत्रगण श्री महेश प्रसाद तिवारी
निवासी ग्राम बरौ तहसील सेमरिया
जिला रीवा म0प्र0

——अनावेदकगण

.....

श्री अरविन्द पाण्डेय, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 07/06/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार सेमरिया जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—07—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक सुग्रीव प्रसाद तिवारी पिता महेश प्रसाद तिवारी आदि द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 कच्ची टीप दिनांक 17.06.1979 रूपये 7280/– सात हजार दौ सौ अस्सी के आधार पर नामांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण पंजीबद्व किया गया आवेदक को जरिये सूचना तलब किया गया। अनावेदक कमांक 1, 3 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति आवेदक को दी गई। आपत्ति पर तर्क श्रवण किये गये आपत्ति सारहीन होने से निरस्त की गई । अनावेदक महेश द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में प्रकरण कमांक 162/अ–6/10–11 में पारित आदेश दिनांक 19.3.13 द्वारा निगरानी निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित कर विधिवत सुनवाई कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निराकरण किया जावे, प्रकरण में पुनः सुनवाई की जाकर इश्तहार, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रादन करते हुये अनावेदक सुग्रीव प्रसाद द्वारा आराजी कमांक 2398 रकवा 0.91 एकड़ रूपये 7280/– प्रस्तुत किया तथा बताया गया है कि आवेदकगण के पिता नंदलाल द्वारा आराजी कमांक 2398 रकवा 0.91 एकड़ रूपये 7280/–में विकय की गई थी इसी कारण मौके पर बेदखल काबिज है। कच्ची टीप होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण नहीं किया गया है इसी से परिवेदति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक कमांक 1 के द्वारा जो फर्जी तौर पर तैयार कराई गई अपंजीकृत टीप दिनांक 17.6.79 के आधार पर भूमि खसरा न0 2398 रकवा 1.82 एकड़ के 1/2 भाग रकवा 91 डिस0 के संदर्भ में नामांतरण हेतु आवेदन दिनांक 22.8.09 को प्रस्तुत किया गया था वह कानूनी तौर पर ग्राह्य नहीं था किंतु किसी भी विधि प्रकिया के बावत विचार किये बिना जो आदेश दिनांक 28.7.14 को पारित किया गया है वह सर्वथा विधान एवं न्यायिक प्रकिया तथा सिद्वांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा गया है कि भूमियों के मालिक नंदलाल थे उन्होने जबाव प्रस्तुत करने के 15–16 साल पहले नंदलाल की मृत्यु हुई तदनुसार वारिसान नामांतरण उनके पुत्रों एवं पत्नी प्रेमवती के नाम हुआ उक्त भूमि कतई विकी नहीं की गई विकी टीप वास्तविक नहीं है इसी कारण अनावेदक कमांक–1 द्वारा अपना कभी भी अधिकार नहीं बताया गया है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक का तर्क है कि भूमि स्वामी अनावेंदक कमांक 1, 2 3 के पिता नंदलालमिश्रा तनय वंशधारी प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम बरौ थे जिनके द्वारा उक्त भूमि खसरा कमांक 2398 रकबा 0.91 एकड़ स्थित ग्राम बरौ को आवेदक के पिता स्व0 महेश तनय महादेव तिवारी निवासी ग्राम बरौ को उक्त भूमि को जरिये अनरजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 17.6.79 को रूपये 7280/– में विकय कर कबज दखल दे दिया था। तथा विकय के दिनांक से विकय पत्र के आधार पर आवेदक के पिता महेश प्रसाद तिवारी काविज दखल हुये तथा रह रहे है। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे अपने तर्क में कहा गया है कि उक्त विकय पत्र दिनांक 19.6.1979 के आधार पर अनावेदक के पिता नामांतरण सुदा भूमि पर काबिज दखील रहे तथा अनावेदक को उक्त भूमि हिस्सा बांट में अनावेदक को प्रापत हो जाने के बाद उक्त भूमि पर अनावेदक का मौके से काबिज दाखिल है । अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से नामांतरण नहीं किया जा सकता विधि की मंशा है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही नामांतरण की कार्यवाही की जा सकती है। उपरो विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रोमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 5/अ–6/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 28.7.14 विधि प्रकिया से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर